न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या : 661/2026
एफआईआर संख्या : 54/2026
अन्तर्गत धारा : 310(4),310(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25, 4/25, 5/25 आयुध अधिनियम
पुलिस थाना : आर.के. पुरम कोटा शहर

मुंतजिर उर्फ गोलू पुत्र श्री मोहम्मद अली, निवासी जैदी फोटोग्राफर की गली, किरण बाजार, चन्द्रघटा, मकबरा, थाना मकबरा, जिला कोटा (राजस्थान)

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, कोटा

.....विपक्षी

द्वितीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश शर्मा, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज.राज्य की ओर से

आदेश दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी अभियुक्त मुंतजिर उर्फ गोलू की ओर से जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता ने पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन न्यायालय एडीजे-2, कोटा द्वारा निरस्त कर दिया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी का प्रकरण अन्य सह अभियुक्त से भिन्न प्रकृति का नहीं है इसलिए न्यायालय में यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। संपूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण महज कल्पना के आधार पर सत्य से परे विपरीत अंकित करायी गयी है तथा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का कोई परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संबंध नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है शेष अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में काफी लम्बा समय लगने की सम्भावना है। प्रकरण के सहअभियुक्त पवन पुत्र अशोक सिंह की जमानत एस.बी. क्रिमीनल बेल एप्लीकेशन संख्या 3877/2026 दिनांक 13.03.2026 को माननीय राजस्थान उच्च

Authenticated Document

न्यायालय, जयपुर द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी का प्रकरण उससे भिन्न प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसके पश्चात यह द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगना बताते हुये प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अभियुक्त कुख्यात अपराधी है उसके विरुद्ध जो केसों की लिस्ट अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी अभियुक्त का लारेंस विश्नोई व अन्य गेंगों से सम्पर्क में है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. उभय पक्ष को सुनकर उनके तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी रामविलास द्वारा प्रस्तुत फर्द चैकिंग एवं जब्ती के आधार पर एफआईआर इस आशय की दर्ज करवायी कि वह मय जाब्ता वास्ते इलाका गश्त चैकिंग गुण्डा बदमाशान एवं अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु रवाना होकर गश्त करता हुआ नयागांव पेट्रोल पम्प पर पहुंचा जहां जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर चेतक 18 को हाई-वे की तरफ से कच्चे रास्ते से टोटकिया चौराहे की तरफ आने की हिदायत कर वह मय जाब्ता के पेट्रोल पम्प से टेगोर नगर होता हुआ हाई-वे के पास कच्चे रास्ते पर पहुंचा। सामने से चेतक 18 मोबाइल जाब्ता हीरालाल कानि., पुष्पेन्द्र कानि. मय जीप सरकारी चालक मदनलाल कानि. के हाई-वे की तरफ से कच्चे रास्ते की तरफ से आते हुए मिले जिन्हें भी उसके द्वारा सूचना से अवगत कराया। कच्चे रास्ते पर दीवार के पास तीन मोटरसाइकिलें बिना नम्बरी खड़ी मिली इस पर उसने गाड़ी से नीचे उतरकर दबे पैर दीवार की आड से छिपकर देखा तो दीवार की आड में नीचे आठ व्यक्ति छुपे हुए नजर आये जो आपस में बातें कर रहे थे कि नयागांव वाले पेट्रोल पम्प पर रात के समय कोई भीड नहीं रहती है तथा दिनभर डीजल व पेट्रोल बिक्री का कैश पेट्रोल पम्प पर ही रहता है। पेट्रोल पम्प लूटना है। इस पर उसने हमराह जाब्ते के उपरोक्त बैठे व्यक्तियों को घेरे में लेकर यथास्थिति बैठे रहने की हिदायत की गई। नाम पता पूछा तो मुन्तजिर उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद अली, इमरान उर्फ पच्ची पुत्र अब्दुल नईम, सलमान उर्फ गंजा पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ दूल्हा भाई, अख्तर हुसैन उर्फ भय्यु पुत्र अब्दुल खालिक, शोयब खान उर्फ बच्चा पुत्र चांदी मोहम्मद, मोहम्मद

अयान पुत्र मोहम्मद साबिर हुसैन, सद्दाम हुसैन पुत्र वकार अहमद तथा पवन यादव पुत्र अशोक सिंह यादव होना बताया जिनकी नियमानुसार तलाशी ली गई तो मुन्तजिर उर्फ गोलू की पेंट में पीछे की तरफ दाहिनी ओर एक देशी पिस्टल स्टील धातु की बनी हुई तथा दो जिन्दा कारतूस जिनके पेंदे पर KF7.65, इमरान उर्फ पर्ची से दांये हाथ के पास एक मोटा बांस का डण्डा मिला जिसमें पांच पेरी हैं तथा तार बंधे हुए, सलमान उर्फ गंजा के पहने हुए पेंट के दाहिने ओर शर्ट से छुपाकर रखा मछलीनुमा तेज धारदार बटनदार चाकू जिसके फल की लम्बाई 14.05 सेमी., अख्तर हुसैन उर्फ भय्यु के दाहिने हाथ में पीछे की ओर छुपाकर रखी एक लोहे की हथौड़ी तथा एक पेचकस, शोयब के दाहिने हाथ में पीछे की ओर छुपाकर रखा एक बांस का डण्डा, मोहम्मद अयान पुत्र मोहम्मद साबिर हुसैन से एक सफेद प्लास्टिक थैली जिसमें 500 ग्राम मिर्च पाउडर, सद्दाम हुसैन से एक सूत की रस्सी काले रंग की लगभग 75 फीट तथा एक लकड़ी काटने का फनर तथा पवन यादव से उसके कूल्हे के नीचे तेज धारदार लोहे की ततवार मिली जिसके फल की लम्बाई 64 सेमी. थी मिले। देशी पिस्टल, कारतूस, चाकू, तलवार आदि के संबंध में अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया जिनको बतौर वजह सबूत जब्त किया गया तथा अन्य सामग्री को भी जब्त किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। वापसी थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-54/2026 संस्थित होकर अन्वेषणाधीन है। अनुसंधान के दौरान अन्य सहअभियुक्तगण से किये गये अनुसंधान से यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा प्रकरण के सहअभियुक्तगण को लूट की घटना कारित करने हेतु हथियार उपलब्ध करवाये गये जिस पर प्रार्थी अभियुक्त को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Criminal Misc.Bail Application No.13513/2020 शीर्षक Jugal Vs State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण संस्थित हुए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रसं	मुक.नंबर	धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट	रिमार्क
1	201/10	147, 148, 149, 341, 323, 324 IPC	Dadabari	322/31.8.10	संदेह का लाभ बरी
2	16/11	148, 149, 341, 323, 324, 326, 452 IPC, 4/25 Arms Act	Makbara	41/9.5.11	पेडिंग
3	70/11	302, 307, 147, 148, 149, 326 IPC, 3/25 Arms Act	Kotwali	135/27.7.11	पेडिंग

Authenticated Document

4	100/12	308, 336 IPC, 4/25 Arms Act	Nayapura	107/15.11.12	पेडिंग
5	144/14	195A, 506, 341, 34 IPC	Nayapura	92/31.3.14	पेडिंग
6	50/18	3/25, 4/25 Arms Act	makbara	78/29.5.18	संदेह का लाभ बरी
7	14/19	13 RPGO	makbara	10/17.1.19	जुर्माना
8	41/21	341, 323, 34 IPC	makbara	30/28.8.21	पेडिंग

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 8 प्रकरण संस्थित हुए हैं जिनमें से 2 प्रकरण में संदेह का लाभ देकर बरी होना, एक प्रकरण में जुर्माना होना तथा 5 प्रकरण न्यायालय में लंबित होना होना बताया गया है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त से एक देशी पिस्टल स्टील धातु की बनी हुई तथा दो जिन्दा कारतूस बरामद किये जा चुके हैं। प्रार्थी अभियुक्त से अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 310(4),310(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप है। प्रकरण में सहअभियुक्त मोहम्मद अयान एवं सद्दाम हुसैन को दिनांक 23.02.2026, सहअभियुक्त इमरान उर्फ पर्ची व सलमान उर्फ गांजा को दिनांक 23.02.2026 तथा सहअभियुक्त शोयब खान उर्फ बच्चा को दिनांक 17.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा सहअभियुक्त पवन यादव को दिनांक 13.03.2026 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है एवं प्रार्थी का प्रकरण इनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थीगण अभियुक्तगण की जमानत लेना उचित समझता हूं।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त मुंतजिर उर्फ गोलू की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व राशि 20-20 हजार रूपये की दो-दो सुदृढ़ (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित) विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिये जावें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जाये।

Authenticated Document

8. इस जमानत आदेश में उपर जो विवेचन किया गया है उसका प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(सत्यनारायण व्यास)

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

SACHIN ARORA
Authenticated Document
Digitally signed by SACHIN ARORA
Date: 2026.03.19 16:14:17 +0530